

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम,
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण) अधिनियम. शामिल।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -1067/2026

- 1- दीपक कुमार पुत्र रामनिवास गुप्ता उम्र करीब 31 वर्ष निवासी मकान नं० 3/23 गली नं० 14 भट्टा रोड, सत्यनगर नई दिल्ली।
- 2- नीरज पुत्र हरि सिंह आयु करीब 33 वर्ष निवासी डी०-290 गली नं० 6 दयानन्द कालोनी उत्तरी पश्चिम दिल्ली।
.....आवेदकगण/अभियुक्तगण,

बनाम

उ०प्र० राज्य

..... विपक्षी,

दिनांक: 21.07.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण दीपक कुमार पुत्र रामनिवास व नीरज पुत्र हरि सिंह की ओर से मु०अ०सं० 48/2026, धारा-136, 137 भारतीय विद्युत अधिनियम एवं धारा-303(2), 317(2), 324(4) बी०एन०एस०, थाना-बाबरी, जिला शामिल में प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण जेल में निरुद्ध हैं।
2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा विमल कुमार मिश्र ने इस आशय की तहरीर दिया कि महोदय, 132 के० वी० शामिल - बुढ़ाना ॥ लाईन के टावर सं 34 (CD+ 0) से 37 (B+ 0) के मध्य, निकट ग्राम - भाजु, जनपद शामिल, थाना-बाबरी, शामिल में दिनांक-17/04/2026 की रात को कुछ अज्ञात अराजक तत्वों ने टावरों के ऊपर खींचे हुये 2 तार, स्पैन 786 x 2 = 1572 मीटर लाईन के ऊपर से काटकर ले गये, जिससे टावर में लगी हुयी 104 नग इन्सुलेटर व अन्य सामग्री भी टूट गई है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है, कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। दौरान विवेचना गिरफ्तारी एवं फर्द बरामदगी दिनांकित 03.05.2026 के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को प्रस्तुत प्रकरण में नामित किया गया है।
3. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि यह आवेदकगण/अभियुक्तगण कतई निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा किसी अन्य सत्र न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही निरस्त कराया गया है। सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा अपने लंबित मुकदमें में अन्वेषण हेतु साक्ष्य प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा उपरोक्त मुकदमें में संलिप्त किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में असाधारण देरी है तथा एफ०आई०आर में घटना का कोई समय भी अंकित नहीं है जिसका कोई औचित्य नहीं है। स्पष्ट है कि सलाह मशवरे के बाद झूठी कहानी बनाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा कभी भी विद्युत तार या समान की चोरी नहीं की गयी है केवल अज्ञात मुकदमें को रंग देने के उद्देश्य से थाना बाबरी की पुलिस ने साज करके उपरोक्त अज्ञात मुकदमें में प्रार्थी को झूठी कारगुजारी दिखाकर अभियुक्त बनाये गये है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उनके निवास स्थान से पुलिस द्वारा उठाया गया है और वादी मुकदमा की झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रार्थीगण को अभियुक्त बनाये गये है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं है पुलिस द्वारा झूठी बरामदगी दिखाई गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम नहीं है ' तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। प्रथमत सूचना रिपोर्ट एवं घटना में विलम्ब है तथा विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। कथित अपराध में सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। प्रार्थी का अन्तर्गत धारा 136, 137, विद्युत अधिनियम व 302(2), 317(2), 324 (4) बी०एन०एस० का कोई अपराध नहीं बनता है, केवल मनघड़त कहानी के आधार पर थाना बाबरी की पुलिस ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उपरोक्त अभियोग में झूठे संलिप्त किये गये है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 03.05.2026 से जिला कारागार मु०नगर में निरुद्ध है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, उसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है और उसका आपराधिक इतिहास भी है। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में मु०अ०स० 48/2026, अंतर्गत धारा 136 विद्युत अधिनियम अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी के सम्बंध में पंजीकृत करायी गया था। दौरान विवेचना अभियुक्तगणगण की गिरफ्तार एवं बरामदगी के आधार पर आवेदकगण का नाम प्रकाश में लाया गया है। फर्द बरामदगी दिनांकित 03.05.2026 के अवलोकन से विदित है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण मौके से गिरफ्तार किया जाना बताया गया है तथा अभियुक्तगण की संस्वीकृति के आधार पर उन्हें प्रस्तुत प्रकरण में नामित किया गया है। अभियोजन की ओर से आवेदकगण/अभियुक्तगण का निम्न आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है—

क्र.सं.	मु.अ.सं.	धारा-	थाना व जनपद
1.	48/2026	136, 137 विद्युत अधिनियम व 303(2), 317(2), 324(4) बी०एन०एस०	थाना बाबरी, जनपद शामली।
2.	136/2026	136, 137 विद्युत अधिनियम व 303(2), 317(2), 324(4) बी०एन०एस०	थाना कांधला, जनपद शामली।
3.	41/2026	136, 137 विद्युत अधिनियम व 303(2), 317(2) बी०एन०एस०	थाना गढ़ीपुख्ता, जनपद शामली।
4.	135/2026	136, 137 विद्युत अधिनियम व 303(2), 317(2), 324(4) बी०एन०एस०	थाना झिंझाना, जनपद शामली।

उक्त मुकदमों में अभियुक्त की कोई पूर्व दोषसिद्धी नहीं दर्शायी गयी है तथा जिन मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, वे वर्ष 2026 के ही हैं। कथित अपराध में सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 03.05.2026 से जेल में निरुद्ध है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा अभियुक्तगणगण के विरुद्ध आरोप भी विरचित किया जा चुका है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में गुण-दोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार है:—

1. आवेदक/अभियुक्त अन्य राज्य का निवासी है, ऐसे में वह एक जमानती ऐसा प्रस्तुत करेगा, जो इस जनपद का निवासी हो अथवा उसके परिवार का निकटतम सदस्य हो।
2. आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
3. आवेदकगण /अभियुक्तगण जमानत पर छूटने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी०एन०एस०एस० की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी०एन०एस०एस० की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उसके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 बी०एन०एस० के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
4. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण दीपक कुमार पुत्र रामनिवास व नीरज पुत्र हरि सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा अंकन 50,000/- (पचास हजार) रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू (जिसमें से एक जमानती ऐसा होगा, जो इस जनपद का निवासी हो अथवा अभियुक्त के परिवार का निकटतम सदस्य हो) एवं उपरोक्त शर्तों की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक-21.07.2026

(सुरेन्द्र कुमार राय)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,

विद्युत अधिनियम/एस०सी०/एस०टी० एक्ट, शामली।

J.O. Code-UP-1761